संख्या-46-क(1) /न्याय अनुभाग/2003

प्रेषक,

मरोसी लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिवक्ता,
मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली ।

न्याय अनुभाग :   देहरादून :   दिनांक- 26 फरवरी, 2003

विषय : उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में इस राज्य के वादों के संचालन हेतु नियुक्त सीनियर वकीलों तथा जुनियर वकीलों को देय पारिश्रमिक की दरों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-डी0 2713/सात-न्याय-3-96-30/89 दिनांक-30 अक्टूबर, 1996 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेश संख्या-डी-249/सात- न्याय-3-1/2000 दिनांक- 8 अप्रैल, 2000 को उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0 उच्चतम न्यायालय के लिये नियुक्त वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि 9-11-2000 से निम्नलिखित दरों से पारिश्रमिक दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सीनियर वकीलों की फीस :-

(i) दीवानी, फौजदारी तथा टैक्स के वादों के लिये मिसलेनियस केसेज के अलावा सीनियर वकीलों को रुपये 1565/ प्रतिकेश प्रतिकार्य दिवस की दर से देय होगी लेकिन शर्त यह है कि यदि मुकदमें ऐसे हैं जो एक साथ सुने जाते हैं {कनेक्टेड केसेज} तो उन्हें ऐसे मामलों में प्रतिकार्य दिवस रुपये 3125/ से अधिक फीस देय न होगी ।

(ii) लीव टू अपील-टू- सुप्रीमकोर्ट तथा मिसलेनियस केसेज में रुपये 975/ प्रति केस, प्रति कार्य दिवस की दर से फीस देय होगी लेकिन इस प्रकार के ऐसे मामले जो एक साथ सुने जाते हैं {कनेक्टेड केसेज} उनमें रुपये 1550/ प्रति कार्य दिवस से अधिक कोई फीस देय न होगी चाहे जितने मुकदमें उस दिन अधिवक्ताओं द्वारा लिये जायँ ।

जूनियर वकीलों की फीस :-

(i) दीवानी, फौजदारी तथा टैक्स के वादों के लिये मिसलेनियस केसेज के अलावा जूनियर वकीलों को रूपये 940/ प्रतिकेस प्रतिकार्य दिवस की दर से देय होगी लेकिन शर्त यह है कि यदि मुकदमें ऐसे हैं जो एक साथ सुने जाते हैं (कनेक्टेड केसेज) तो उन्हें ऐसे मामलों में प्रतिकार्य दिवस रूपये 1875/ से अधिक फीस देय न होगी ।

(ii) लीव टू अपील-टू-सुप्रीम कोर्ट तथा मिसलेनियस केसेज में रूपये 500/ प्रति केस प्रति कार्य दिवस की दर से फीस देय होगी लेकिन इस प्रकार के ऐसे मामले जो एक साथ सुने जाते हैं (कनेक्टेड केसेज) उनमें रूपये 1000/प्रति कार्य दिवस से अधिक कोई फीस देय न होगी, चाहे जितने मुकदमें उस दिन अधिवक्ताओं द्वारा किये जायँ ।

1-(क)- सीनियर व जूनियर दोनों प्रकार के पैनल के अधिवक्ताओं की फीस के लिये प्रतिबन्ध यह भी होगा कि यदि किसी अधिवक्ता को किसी एक कार्य दिवस में दो मामलों से अधिक में बहस तथा सुनवाई के लिये आबद्ध किया जाता है, तो उक्त फीस की अधिकतम सीमा केवल दो मामलों की कुल विहित फीस से अधिक न होगी ।

2- इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 शासन के न्याय अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-164 (1) ए0 एन0/सात-फौज0 वाद0 अनु0, दिनांक 21-1-72 में उल्लिखित शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी तथा उसे इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014- न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-00-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-00-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवओं के लिये भुगतान" के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश उ0 प्र0 शासन के वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-1089 (111)/दस-96, दिनांक- 30 सितम्बर, 1996 (जो कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनेयम की धारा-86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में भी अनुकूलित है) में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(भरोसी लाल)

संख्या- ५६-९५(७)(१) /न्याय अनुभाग/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महाधिवक्ता, उत्तरांचल, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

2- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।

3- वित्त अनुभाग-3/इखा नैक अनुभाग ।

4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव ।